पत्रांक—अ०सं०क०—07—म०—16 / 2023........................../

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी

विशेष सचिव—सह—निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक....................

विषय :— **वित्तीय वर्ष 2026—27 में बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत मदरसा अजीजिया, मुरारपुर, बिहार शरीफ, नालन्दा में निर्माण कार्य (पुस्तकालय सहित नवीन विद्यालय भवन, छात्रावास, कर्मियों का आवास, विद्यालय एवं छात्रावास के लिये फर्निचर, सोलर सिस्टम का अधिष्ठापन, चहारदीवारी का निर्माण, परिसर का विकास एवं मदरसा की मरम्मति का कार्य आदि) हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को चतुर्थ किस्त के रूप में ₹31,79,078/— (इकतीस लाख उनासी हजार अठहत्तर रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः— **स्वीकृत।**

महाशय,

बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत मदरसा अजीजिया, मुरारपुर, बिहार शरीफ, नालन्दा में निर्माण कार्य (पुस्तकालय सहित नवीन विद्यालय भवन, छात्रावास, कर्मियों का आवास, विद्यालय एवं छात्रावास के लिये फर्निचर, सोलर सिस्टम का अधिष्ठापन, चहारदीवारी का निर्माण, परिसर का विकास एवं मदरसा की मरम्मति का कार्य आदि) हेतु अनुमोदित तकनीकी प्राक्कलन के आधार पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० ₹29,78,34,000/— (उन्नतीस करोड़ अट्ठहत्तर लाख चौतीस हजार रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रथम किस्त के रूप में ₹10,00,00,000/— (दस करोड़ रूपये) मात्र निकासी एवं व्यय की अनुमति स्वीकृत्यादेश संख्या—384 दिनांक 27.09.2023 द्वारा तथा द्वितीय किस्त के रूप में ₹5,00,00,000/— (पाँच करोड़ रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की अनुमति, स्वीकृत्यादेश संख्या—194 दिनांक 01.07.2025 द्वारा प्रदान किया गया साथ ही तृतीय किस्त के रूप में राशि ₹8,00,00,000/— (आठ करोड़ रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की अनुमति स्वीकृत्यादेश संख्या—379, दिनांक—17.09.2025 के द्वारा प्रदान किया गया है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पत्रांक—2975, दिनांक—27.07.2026 के आलोक में निर्माण कार्य एवं सेंटेज हेतु चतुर्थ किस्त के रूप में राशि ₹31,79,078/— (इकतीस लाख उनासी हजार अठहत्तर रूपये) मात्र की आवंटन एवं निकासी की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2026—27 में आवंटित राशि ₹31,79,078/— (इकतीस लाख उनासी हजार अठहत्तर रूपये) मात्र राज्य योजना की बजट माँग संख्या—30 मुख्य शीर्ष 4225— अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—04—अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष—051— निर्माण, उपश्शीर्ष 0102—बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, विषय शीर्ष—53 01—मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड—30—4225040510102 मतदेय मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत आवंटित राशि ₹31,79,078/— (इकतीस लाख उनासी हजार अठहत्तर रूपये) मात्र बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० के पी० एल० खाता (PLA238) में उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा विपत्र संख्या—46 से CFMS के माध्यम से अंतरित की जायेगी जिसकी विवरणी निम्नलिखित है :—

PL Code	:- PNBPLA007
PL Name	:- Bihar State Building Construction Corporation Ltd.
PL Designation	:- Managing Director

4. इस योजना का क्रियान्वयन एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना है।

5. स्वीकृत्यादेश में सन्निहित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र 18 माह के अन्दर महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा एवं वित्त विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उक्त योजना बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना की मार्गनिर्देशिका के अनुसार क्रियान्वित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि० (2), दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 में यथा संशोधित वर्णित आदेशों/निर्देशों का अनुपालन कार्यकारी एजेंसी द्वारा किया जाना आपेक्षित होगा।

9. उपर्युक्त पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

10. योजना के क्रियान्वयन में बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक–4989/वि० दिनांक–16.05.2013 तथा संबंधित अन्य अद्यतन परिपत्र/आदेश की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा आपेक्षित होगा।

11. कार्यकारी एजेंसी द्वारा उक्त योजना के लिए स्वीकृत राशि के विरूद्ध व्यय की गई राशि का निर्माण कार्य के उपरांत उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. वित्त विभाग के द्वारा इससे संबंधित सभी अद्यतन निदेश/आदेश का अनुपालन किया जाना संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा आपेक्षित होगा।

13. कार्य की प्रगति की समीक्षा संबंधित जिला पदाधिकारी/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, नालंदा के द्वारा की जायेगी एवं समय–समय पर प्रगति प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जायेगा।

14. उपर्युक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07–म०–16/2023 ..../ पटना, दिनांक...........

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07–म०–16/2023 ..../ पटना, दिनांक...........

प्रतिलिपि–सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07–म०–16 / 2023 296 /   पटना, दिनांक 17/08/26

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / उप सचिव–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना / बजट शाखा / लेखा शाखा / आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/8

विशेष सचिव–सह–निदेशक